संख्या-10/2016/1009/49-1-2016-8(56)/13टी0सी0

प्रेषक,

प्रतीक संजर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 अगस्त, 2016

विषय- उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के कार्य संचालन हेतु सृजित 106 पदों की वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 तक की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक-279/रा0स0स0नि0आ0(स्थापना)(स्टाफ/2) दिनांक 22 जून, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-156/49-01-2014-08(56)/13टीसी-11 दिनांक 06 फरवरी, 2014 के संलग्नक-1 के अनुसार आयोग के कार्य संचालन हेतु सृजित 106 अस्थायी पदों की वित्तीय वर्ष 2014-15(दि0 28-02-2015 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2015-16(दिनांक 29-02-2016) की कार्योत्तर स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि प्रश्नगत अस्थाई पदों की समय से क्रमागत स्वीकृति निर्गत न करने के लिए दोषी कर्मचारी/ अधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

2- उपर्युक्त पद धारकों को वेतन के अलावा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत पदों पर महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0 675/ई-2/दस-2016 दिनॉक 01 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2016/1009(1)/49-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।

3- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग,उ0प्र0 लखनऊ।

5- लेखाधिकारी, सहकारी निर्वाचन आयोग, लखनऊ।

6- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2

7- सहकारिता अनुभाग-3

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।